(c) No inherent faults have arisen in the nuclear power stations operating in the country. The two units of Tarapur Atomic Power Station and Rajasthan Atomic Power Station Unit--II are operating satisfactorily. Rajasthan Atomic Power Station Unit-I is not operating owing to development of cracks in its South End Shield. After initial satisfactory operation both units of Madras Atomic Power Station faced problems connected with conventional equipment such as turbo-generator vibrations and transformer failure, which have now been overcome. In addition, Madras Atomic Power Station Unit-II encountered a problem with its fuel transfer system which has been attended to. Both units are now operational.

Emphasis on moral, ethical and spiritual programmes on Doordarshan

1005. SHRIMATI RATAN KUMARI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that PRIME MINISTER has recently asked Doordarshan to give greater emphasis in its programmes to moral, spiritual and ethical aspects; and

(b) if so, the steps taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI AJIT PANJA): (a) Yes, Sir.

(b) Directions given by the Prime Minister are being gradually followed in preparation of programmes to be telecast.

पुलिस अभिरक्षा में व्यक्तियों की मृत्यु

1006. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1985 से 30 सितम्बर, 1986 तक की अवधि के दौरान दिल्ली तथा अन्य संघ राज्यीय क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों की मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में हुई ;

(ख) उनकी मौत के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं, जिनमें उन्हें पुलिस द्वारा मारे जाने के आरोप हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) 30 सितम्बर, 1965 से 30 सितम्बर, 1986 की अवधि के दौरान दिल्ली में पुलिस हिरासत में 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

अन्य संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो वर्ष-वार आंकड़े रखती है । 1985 के दौरान गोवा दमन तथा दीव और मिजोरम संघ शासित क्षेत्रों में एक-एक मामला हुआ । अन्य संघ शसित क्षेत्रों में ऐसा कोई मामला सूचित नहीं किया गया ।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

पुलिस हिरासत के दौरान मृत्यु के कारण

दिल्ली

1. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392 के तहत मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 140, दिनांक 17-4-1986 थाना नजफगढ़

एक व्यक्ति कमाल सिंह को उसके साथियों के साथ थाना नजफगढ़ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत एक गांव में सेंधमारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था । क्रुद्ध ग्रामीणों ने लाठियां मारने के बाद उसे काबू में कर लिया । उससे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी

पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई । मरणोपरान्त जांच की गई ।

2. डी०डी० संख्या 20-ए, दिनांक 8-2-1986 डी०पी० अधिनियम की धारा 91/93/97, थाना शकरपुर, दिल्ली ।

दीदार सिंह समेत 3 व्यक्तियों को शराब के नशे में लड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था । गिरफ्तार व्यक्तियों को डाक्टरी जांच के लिए जनरल अस्पताल ले जाया गया जहां दीदार सिंह को मृत घोषित कर दिया गया । सब-डिवीजन मजिस्ट्रेट शाहदरा द्वारा मरणोपरान्त जांच की गई है ।

3. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304/342,34 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 336, दिनांक 24-8-1986 थाना पटेल नगर

आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति पुलिस कार्मिकों द्वारा मारा गया है । 3 पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है ।

4. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/343/330/34 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 301 दिनरक 25-10-1986 थाना गांधी नगर

एक व्यक्ति सूरज सिंह को 12-8-1986 को गिरफ्तार किया गया था उसे उसी रात को मृत पाया गया । मरणोपरान्त जांच अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है जिन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि थाना शकरपुर और गांधी नगर के पुलिस अधिकारी मृत्यु के लिए जिम्मेवार हैं । 6 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया ।

5. भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 365, दिनांक 15-9-1986 थाना श्रीनिवासपुरी

एक संदिग्ध चौकीदार दयाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था और 19 सितम्बर, 1986 को पुलिस हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई । उप-निरीक्षक रामबीर सिंह जिसकी हिरासत में संदिग्ध दयाल सिंह की मृत्यु हुई थी को निलम्बित कर दिया गया है और मरणोपरान्त जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

6. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 216-क के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 8, दिनांक 2-1-1986 थाना आनन्द पर्वत

इस मामले में दलजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था जिसकी जयप्रकाश नारायण अस्पताल में फुफसीय रोग के कारण मृत्यु हो गयी थी । मरणोपरान्त जांच से किसी पुलिस अधिकारी पर जिम्मेवारी नहीं जाती ।

गोवा दमण तथा दीव

1. मृत्यु का कारण फांसी लगाकर आत्म हत्या बताया जाता है । मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दिये गये थे ।

मिजोरम

1. मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गई है और पुलिस अधिकारियों की ओर से लापरवाही पाई गई थी । एक उप निरीक्षक पर संदेह किया गया था और मामला न्यायाधीन है ।

Arrest of Government Officers by the C.B.I.

1007. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 17 given in the Rajya Sabha on 18th July, 1986 and state whether any arrests have been made in connection with the 21 cases registered for investigation by the C.B.I. against Government employees/officers; if so, what are the details of the arrested officers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL,